सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 12/2012

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

प्रार्थी

बनाम

अर्जुनराम मेघववाल वगैरा निवासी श्यामगढ तहसील रायसिंसहनगर

अप्रार्थी (खरीददार)

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री हरवीर सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
2. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से

–:आदेश :– **दिनांक : 27.07–18**

सक्षेंप में प्रकरण का सार इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, रायसिंहनगर के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर चक 62 एन.पी. के मु.न.26 के 3.162 हैक्टर भूमि की धारा 13 ए में नियमन किये जाने हेतु निवेदन किया है। आवंटी कालूराम पुत्र रूघाराम कौम नायक साकिन 62 एन.पी. को चक 62 एन.पी. के मु.न. 26 के 24.06 बीघा नहरी भूमि दिनांक 14.01.1961 को आवंटित हुई थी। जिसकी अन्तिम किश्त दिनांक 23.06.1975 को जारी होकर दिनांक 03.07.1975 को सनद जारी हुई। केता भानीराम–काशीराम–अर्जुनराम बनवारीलाल नन्दराम पिसरान धन्नाराम जाति मेधववाल साकिन श्यामगढ ब0हि0ब0 3.162 हैक्टर नहरी द्वारा भानीराम पुत्र लूणाराम जाति नायक द्वारा बिना मन्जूरी काशीराम पुत्र धन्नाराम सा. श्याम को मु.न. 26 के किला नम्बर 11/12/0.506, 13/0126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर नहरी, अर्जुनराम पुत्र धन्नाराम कौम मेघवाल साकिन श्यामगढ को मु.न. 26 के किला नम्बर 8/.127, 9–10/0.560 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर नहरी , बनवारीलाल पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल साकिन श्यामगढ को मु.न. 26 के किला नम्बर 5/.126, 3–4/0.506 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर, नन्दराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल सा. श्यामगढ को मु.न. 26 के किला नम्बर 1–2/0.560, 5/0.126 हैक्टर कुल0.633 हैक्टर नहरी व रामप्रताप पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल सा. श्यामगढ को मु.न. 26 के किला नम्बर 6–7/0.506, 8/0.126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर नहरी भूमि चक 62 एन.पी. की बैचान की गई। चक 62 एन.पी. के मु.न. 26 के 3.162 हैक्टर का किलेवार बेचान भानीराम पुत्र लूणाराम जाति नायक द्वारा किया गया। भानीराम ने उक्त रकबा रूघाराम जाति नायक से दिनांक 17.07.1975 को क्रय किया था। वर्तमान में कब्जा काश्त द्वितीय केतागण अर्जुनराम वगैरा जाति मेघववाल निवासी श्यामगढ का चला आ रहा है। क्रयशुद्वा भूमि का धारा 13ए में वाद जिला कार्यालय श्रीगंगानगर में विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त भूमि में से 3.074 हैक्टर की सम्मन फीस 22.09.1997 को केतागण द्वारा जमा करवा दी गई एवंम धारा 13ए प्रकरण सख्या 07/2001 अनवान सरकार बनाम कालुराम , प्रकरण सख्या 03/2001 स्टेट बनाम बनवारीलाल में निर्णय दिनांक 23.10.2007 द्वारा फ्रेगमैन्ट में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नियमन करने के आदेश दिये गये थें। उक्त निर्णय की पालना में श्री उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के वाद सख्या 40/2009 धारा 24 डीडीडी में नियमन एवं खरीदशुद्वा भूमि का धारा 42ए रा.का.अ0 भू–राजस्व का 40 गुणा जमा करवाया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित उक्त रकबा में जमाबन्दी के खाता सख्या 01 अनुसार मु.न. 26 की 3.074 हैक्टर नहरी भूमि सिवाय चक अराजीराज दर्ज है।

तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पक्षकारान को तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 20–12–12 के अनुसार शमन फीस एवं ब्याज की राशि की गणना हेतु रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 26–12–12 को प्राप्त हुई। दिनांक 28.12.2012 को अप्रार्थीगण द्वारा जरिये चालान दिनांक 28–12–12 को 7320–00 शमनफीस के एवं 26352–00 रूपये ब्याज के जमा करवा कर चालान की प्रतियॉ पेश की, जो पत्रावली में संलग्न हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी द्वारा जरिये चालान दिनांक 28–12–12 को 7320–00 शमन फीस के एवं 26352–00 रूपये ब्याज के जमा करवायें है। जमा राशि का चालान शामिल पत्रावली है। भूमि का अंतरण प्रार्थी के पक्ष में आवंटन के सात वर्ष पश्चात् खातेदारी के दौरान हुआ है। आवटी कालुराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल साकिन श्यामगढ को चक 62 एन. पी. के मु.न. 26 के 24.06 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 14.01.1961 को हुआ है। भूमि का बेचान भानीराम पुत्र लूनाराम को दिनांक 17.07.1975 को हुआ है एवं भानीराम द्वारा दिनांक 06.11.1980 को उक्तनुसार अर्जुनराम वगैरा जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ को किया गया। अतः शमन फीस एवं ब्याज की राशि एकमुश्त जमा हो चुकी है। बेचान सात वर्ष के बाद का है। अतः प्रकरण नियमन योग्य है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवटी कालुराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल साकिन श्यामगढ को चक 62 एन.पी. के मु.न. 26 के 24.06 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 14.01.1961 को हुआ है। भूमि का बेचान भानीराम पुत्र लूनाराम को दिनांक 17.07.1975 को हुआ है एवं भानीराम द्वारा दिनांक 06.11.1980 को उक्तनुसार अर्जुनराम वगैरा जाति मेधवाल निवासी श्यामगढ को किया गया। शमन फीस एवं ब्याज की राशि एकमुश्त जमा हो चुकी है। बेचान सात वर्ष के बाद का है। अतः प्रकरण नियमित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि विवादित भूमि आवटी कालुराम पुत्र रूधाराम जाति मेघवाल साकिन श्यामगढ को चक 62 एन.पी. के मु.न. 26 के 24.06 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 14.01.1961 को हुआ है। भूमि का बेचान भानीराम पुत्र लूनाराम को दिनांक 17.07.1975 को हुआ है एवं भानीराम द्वारा दिनांक 06.11.1980 को उक्तनुसार अर्जुनराम वगैरा जाति मेधवाल निवासी श्यामगढ को किया गया। उक्त भूमि का बेचान दिनांक 17.07.1975 को भानीराम पुत्र लूनाराम को बिना जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये विक्रय जरिये बैयनाम कर दी गई। भानीराम द्वारा दिनांक 06.11.1980 को उक्तनुसार अर्जुनराम वगैरा जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ को जरिये बैयनामा की गई। उक्त बैयनामाजात अनूसूचित जाति से अनुसूचित जाति के मध्य हुए हैं जो तहसीलदार रायसिहनगर के हस्तगत प्रार्थना पत्र में बिन्दु सख्या 14 में अंकित अनुसार धारा 42(ख) के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। एवं प्रथम बेचान जो दिनांक 17.07.1975 को भानीराम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के पक्ष में हुआ था, उस समय जिला कलक्टर की अनुमति लेनी आवश्यक थी। परन्तु दिनांक 22–04–1991 से पश्चात् पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम बेचान दिनांक 17–7–75 एवं द्वितीय बेचना दिनांक 06.11.1980 के संबंध में दिनांक 20.12.2012 की आदेशिका के निर्देशानुसार शमन फीस व ब्याज की राशि जरिये चालान जमा हो चुकी है।

अतः उक्त अन्तरण को विधि मान्य घोषित करवाने के लिए डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 28–12–12 के अनुसार नियमन शुल्क राशि, शमन फीस एक मुश्त 7320–00 रूपये एवं इस पर ब्याज 18 प्रतिशत की दर से 26350–00 रूपये पृथक–2 चालान से दिनांक 28–12–12 से जमा हो चुके है। उक्त भूमि का अन्तरण हरिजन से स्वर्ण को नहीं हुआ है। अतः अंतरण विधिमान्य घोषित किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उक्त प्रथम अन्तरण दिनांक 17–07–75 आवंटन के सात वर्ष के पश्चात खातेदारी सनद दिनांक 03.07.1975 के दौरान किया गया है। डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 26–12–12 के अनुसार जरिये चालान दिनांक 28.12.2012 को शमन फीस एवं ब्याज की राशि एकमुश्त जमा हो चुकी है इसलिए धारा 13(1–ए) के तहत दिनांक 17–07–75 को अप्रार्थी (क्रेता) भानीराम पुत्र लूनाराम नायक से दिनांक 06.11.1980 को अप्रार्थीगण काशीराम, अर्जुनराम, बनवारीलाल, नन्दराम, रामप्रताप पि0 धन्नाराम के पक्ष में हुए द्वितीय अन्तरण निम्नलिखित प्रकार से विधिमान्य घोषित किया जाता है।

क. स.	नाम केतागण	चक	मु.न.	किला नम्बर	नियमन योग्य रकबा
1.	काशीराम पुत्र धन्नाराम	श्यामगढ	26	11–12/.506, 13/.101	कुल–0.607 है0
2.	अर्जुनराम पुत्र धन्नाराम	"	26	8/.127, 9–10/.506	कुल–0.633 है0
3.	बनवारीलाल पुत्र धन्नाराम	"	26	5/.114, 9–10/0.506	कुल–0.620 है0
4.	नन्दराम पुत्र धन्नाराम	"	26	1–2/0.506, 05/0.114	कुल–0.620 है0
5.	रामप्रताप पुत्र धन्नाराम	"	26	6–7/0.468, 8/0.126	कुल–0.594 है0

तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के मुताबिक राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अंकन किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27–07–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर